राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

प्रकाशक :
NCCD
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-भारत
का स्वायत्त संगठन

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

645, ए- विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

वित्त-वर्ष 2012-13 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

ए. लेखा एवं लेखापरीक्षा 1

बी. स्थापना एवं एच.आर. स्थिति(स्टेट्स) 1

सी. सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेट्स) 2

डी. एन.सी.सी.डी हेतु दिशा-निर्देश(रोड मैप) 3

ई. रिफर ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव 4

एफ. आई.टी. इंटरफेस और संचार चैनल की स्थापना 4

जी. आउटरीच और जागरूकता अभियान 5

एच. सलाहकार अन्य गतिविधियाँ 7

आई. एन.सी.सी.डी.-उद्देश्य एवं विषयपरक 9

जे. एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति 10

एल. एन.सी.सी.डी की शासी परिषद 11

एम. लेखापरीक्षा एवं वार्षिक रिपोर्ट 12

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

645, ए- विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

वित्त वर्ष 2012-13 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.) की वार्षिक रिपोर्ट

ए. लेखा एवं लेखापरीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद डी.ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यु. को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान करना था । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की जाती है कि इसमें दिन-प्रतिदिन आधार पर प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी कम होती जा रही है और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त वर्ष 2012-13 के खातों की वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स उमेश बाबू अग्रवाल द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी ।

वित्त वर्ष 2012-13 हेतु आय एव व्यय लेखा का सार निम्नलिखित हे :

मद	रुपए लाख में
ब्याज तथा अन्य से आय	186.98
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	12.00
व्यय से अधिक आय	174.98
घटाएं : आयकर का प्रावधान	46.07
जनरल रिजर्व से अंतरित शेष	128.91
कुल	174.98

वित्त वर्ष 2012-13 हेतु लेखापरीक्षित खाते संलग्न हैं ।

बी. स्थापना एवं एच.आर. स्थिति(स्टेट्स)

श्री शैलेंद्र कुमार निदेशक(डी.ए.सी.) को मार्च, 2012 में एन.सी.सी.डी. के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जनवरी, 2013 तक इस पद पर रहे । वर्ष 2012 की शुरूआत में निदेशक एन.सी.सी.डी; में एकमात्र अधिकारी थे, जिनके पास दोहरी जिम्मेदारी थी । श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) ने फरवरी, 2013 से एन.सी.सी.डी. के निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला ।

अप्रैल 2012 में, उद्योग से एक कोल्ड-चेन पेशेवर श्री पी. कोहली को केंद्र को प्रेरित करने के लिए नि:शुल्क समर्थन प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था । सितंबर, 2012 में वह एन.सी.सी.डी. के संचालन में सहायता करने के लिए मुख्य सलाहकार के रूप में आधिकारिक तौर पर रिटेनरशिप से जुड़े रहे हैं । इसके बाद दो सहायता सहायकों को अक्तूबर में काम पर रखा गया था :

- श्री रवि गणेश - मास्टर्स(इंटरनेशनल बिजनेस), लीड्स युनिवर्सिटी, यू.के.
- श्री अंग्शुमान सिद्धांत- एम.बी.ए.(विपणन एवं वित्त), प्रबंधन एवं विकास संस्थान, नई दिल्ली

नवंबर में एक लेखा अधिकारी को काम पर रखा गया था :

- श्रीमती नीलम टंडन, कृषि एवं सहकारिता विभाग(डी.ए.सी.) से सेवानिवृत्ति अनुभाग अधिकारी ।

ये एन.सी.सी.डी. के ऊष्मायन दल का गठन करते हैं और एक स्टार्टअप उद्यम की तरह कार्य करते हैं । एन.सी.सी.डी. के लिए कोई कार्यालय नहीं था और कार्यालय स्थान किराए पर लेने के लिए डी.ए.सी. के आई.एफ.डी की सहमति का अनुरोध किया गया था । आई.एफ.डी. ने निदेश दिया कि एन.सी.सी.डी. का ई.सी. पूरी तरह से सशक्त हैं और एन.सी.सी.डी. की मौजूदा आय सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकता है । कुछ सप्ताह के लिए अक्तूबर में एन.सी.सी.डी. को एस.एफ.ए.सी. कार्यालय परिसर में एक अतिरिक्त केबिन से संचालित किया गया था, जब तक कि नवंबर,2012 में एन.सी.सी.डी. को निर्माण भवन में एक खाली कमरा आबंटित नहीं किया गया था । लंबित कार्यालय उपकरण, टेलीफोन, कनेक्टिविटी तथा फर्निशिंग, बुनियादी कामकाज दिसंबर, 2012 तक 645, ए-विंग निर्माण भवन से शुरू हो रहा है ।

जनवरी, 2013 में शासी परिषद्(गवर्निंग काउंसिल) ने ई.सी. के पदेन सदस्यों के रूप में अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) तथा संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) के नामांकन को मंजूरी दी । एन.सी.सी.डी. की कार्यकारी समिति में अब सचिव(डी.ए.सी.) की अध्यक्षता में 10 सदस्य होते हैं । शासी परिषद्(गवर्निंग काउंसिल) में अध्यक्ष के रूप में सचिव(डी.ए.सी.) के अधीन 10 सदस्य होते हैं । ई.सी. तथा जी.सी. सदस्यों की सूची संलग्न हैं ।

सी. सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेट्स)

एन.सी.सी.डी. के पास सदस्यता श्रेणियों के लिए भागीदारी के मापदंड का कोई ब्यौरा नहीं था । कार्यकारी समिति ने चाहा है एन.सी.सी.डी. की सदस्यता के लिए नियम और विनियम तैयार किए जाए जिसके बाद इन नियमों के आधार पर सदस्यता दी जा सकती है । शासी परिषद् द्वारा जनवरी, 2013 में नियम तथा विनियम ओर भागीदारी मापदंड विकसित और अनुमोदित किए गए थे ।

नई श्रेणियों में हितधारिकों की एक विस्तृत श्रृंखला और प्रत्येक के लिए भागीदारी वाले क्षेत्रों को शामिल करने की योजना बनाई गई थी । संशोधित सदस्यता की सात श्रेणियां हैं, जो निम्नलिखित हैं -

#	श्रेणी	विवरण	शुल्क(रु.)
1	आर संसाधन संस्थान	प्रतिष्ठित शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान और विकास संगठनों, मान्यता प्रदान/अनुपालन कराने वाले प्राधिकारियों	शून्य अथवा विवेक पर
2	आई उद्योग निकायों	व्यापार संघों/मंडलों(चैम्बर्स); और सार्वजनिक उपक्रमों, सर्वोच्च संस्थानों, एयरपोर्ट्स और बंदरगाह प्राधिकरण।	75,000/ वार्षिक 5 लाख एकमुश्त
3	सी व्यक्तिगत कंपनी	इस क्षेत्र में मौजूदा अथवा प्रस्तावित व्यावसायिक हितों वाली व्यक्तिगत कंपनियां	50,000/ वार्षिक 4 लाख एकमुश्त

#	श्रेणी	विवरण	शुल्क(रु.)
4	जी समूहों	एफ.पी.ओ., सहकारिता, उपभोक्ता एवं खुदरा विक्रेता, सामाजिक उद्यम और एन.पी.ओ. विद्यार्थी समूहों जैसे उत्पादक समूह और स्वयं सहायता समूह ।	<5 की कुल बिक्री हेतु शून्य शुल्क, अन्य 10,000/वार्षिकी
5	ए एसोसिएट सदस्य	निम्न क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति : -अग्री व्यापार, कोल्ड-चेन, सप्लाई चेन - अभिकल्प एवं आधारिक संरचना का समाधान - प्रबंध, वित्त	10,000/ वार्षिकी
6	एफ फेलो	इंटर आलिया क्षेत्रों में विगत व्यवसाय अथवा सार्वजनिक कार्यालय; अथवा -'श्रेणी-ए' जी.सी. अथवा एन.सी.सी.डी. के दो अन्य अध्येता द्वारा अनुशांसित सदस्य ।	शून्य
7	पी पैट्रॅन	संरक्षक(पैट्रॅन) सदस्य उद्योग क्षेत्र अथवा व्यापार निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं	20 लाख कॉर्पस में योगदान

सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के लिए भागीदारी मानदंड एन.सी.सी.डी. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सदस्यों के लिए अलग आवेदन-पत्र और गतिविधि क्षेत्र समीक्षा के लिए सूचीबद्ध हैं ।

वर्ष 2012-13 की शुरूआत में एन.सी.सी.डी. में कोई सक्रिय सदस्य नहीं था । दिनांक 31-03-2013 तक एन.सी.सी.डी. में कुल 10 सदस्य शामिल हैं और वित्त-वर्ष 2012-13 में कुल सदस्यता शुल्क रु. 3.40 लाख है ।

श्रेणी- शुल्क (रु.)	वार्षिक	जीवनपर्यंत	कुल
कंपनी- सी (50,000 / 4,00,000)	6	-	6
एसोसिएट- ए (10,000)	4	-	4
शैक्षणिक संस्थान- आर (Nil)	-	-	-
संरक्षक(पैट्रॅन)- पी (20,00,000)	-	-	-
उत्पादक- जी (कुल बिक्री <5 लाख – शून्य; अन्य- 10,000)	-	-	-
उद्योग निकाय- I (75,000 / 5,00,000)	-	-	-
	10		10

डी. एन.सी.सी.डी. हेतु दिशा-निर्देश(रोड मैप)

एन.सी.सी.डी. के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए दिनांक 17-7-2012 को एक सम्मेलन(कॉनक्लेव) का आयोजन किया गया था जिसमें 69 प्रतिभागियों ने भाग लिया । इस कार्यक्रम में 22 प्रस्तुतियां(प्रजेंटेशन) प्रस्तुत की गई थी और प्रत्येक प्रस्तुतीकरण के बाद दर्शकों से बातचीत की गई । वक्ताओं और प्रतिनिधियों ने एन.सी.सी.डी. के लिए एक रोड मैप विकसित करने के लिए अपने सुझाव दिए ।

इंटरएक्टिव कॉन्क्लेव में प्रतिभागियों के रूप में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, 3पी.एल.(थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स), व्यापार एसोसिएशन, क्यू.एस.आर. (क्विकसर्विस रेस्टोरेंट्स), विनिर्माताओं, ई.पी.सी.(इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन), सलाहकारों, सरकारी अधिकारियों, राजनायिक मिशनों, वैश्विक शैक्षिक संगठन और उत्पादक के हितधारक शामिल थे।

इस इंटरैक्टिव सम्मेलन(कॉनक्लेव) से प्राप्त सुझावों को सारणीबद्ध किया गया तथा रोड मैप दस्तावेज तैयार किया गया और उसे परिचालित किया गया । रोड मैप दस्तावेज को एन.सी.एम. वेबसाइट लंबित एन.सी.सी.डी. वेबसाइट विकास पर उपलब्ध कराए गए ।

ई. रिफर ट्रांसपोर्ट कॉनक्लेव

कोल्ड-चेन में मिसिंग लिंकों को ध्यान में रखते हुए एन.सी.सी.डी. ने 7 मार्च, 2013 को प्रशीतित परिवहन पर एक सम्मेलन(कॉनक्लेव) का आयोजन किया । इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एमओएफपीआई, डी.ए.सी. तथा निजी क्षेत्र से 150 प्रतिभागियों और 27 वक्ता शामिल हुए थे । आयोजन प्रशीतित परिवहन क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों संबंधी विचार-विमर्श पर केंद्रित था । अंतर्निहित क्षेत्रों में

सड़क, रेल, वायु, समुद्र और खाद्य(ताजा, प्रसंस्कृत और जमे हुए) के संबंद्ध कार्गो शामिल हैं । ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई और संशोधन के लिए नीति निर्माताओं को इनपुट प्रदान करने के लिए व्यक्त की गई बाधाओं की समीक्षा की जाएगी । इस कार्यक्रम के बाद रिफर परिवहन में बाधाओं का दस्तावेजीकरण किया गया और अर्नस्ट एंड यंग ने सम्मेलन(कॉनक्लेव) पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की।

एफ. आई.टी. इंटरफेस और संचार चैनल की स्थापना

दिसंबर, 2012 में एन.सी.सी.डी. हेतु आधारिक ई-मेल आई.डी. बनाई गई थी । जनवरी, 2013 में एन.एच.एम. के तहत एक पृष्ठ के रूप में एन.सी.सी.डी. हेतु वेबसाइट लांच की गई थी, जो डोमेन नाम की लंबित स्वीकृति

थी । एन.सी.सी.डी. के सदस्यों को ई-मेल की जानकारी के लिए आधिकारिक संवाद प्रारूप विकसित किया गया था ।

जी. आउटरीच एवं जागरूकता अभियान

सार्वजनिक इंटरफेस और जागरूकता अभियान शुरू किया गया था । एन.सी.सी.डी. और इसके उद्देश्यों के बारे में समझाने के लिए प्रिंट मीडिया के साथ बातचीत की गई । एन.सी.सी.डी. के निदेशक का लॉजिस्टिक्स टाइम्स(नवंबर संस्करण) में एक लेख प्रकाशित हुआ और वार्षिक ईयर बुक के लिए रिकार्ड किया गया । एन.सी.सी.डी. ने निम्नलिखित में भाग लिया :

i) ललित होटल, नई दिल्ली में दिनांक 29-08-2012 में आयोजित सी.आई.आई. राष्ट्रीय कोल्ड-चैन शिखर सम्मेलन में मुख्य सलाहकार और एन.सी.सी.डी. के सहायक निदेशक ने सहभागिता की । एन.सी.सी.डी. पर पैनल चर्चा हुई थी ।

ii) दिल्ली में दिनांक 5-11-2011 में फूड प्रोसेसिंग, एग्रीबिजनेस और कोल्ड-चैन पर आयोजित एसोचैम इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन । एन.सी.सी.डी. का परिचय प्रस्तुत किया ।

iii) फ्रैंच दूतावास-दिल्ली में दिनांक 6-11-2012 को आयोजित इंडो-फ्रांस कोल्ड-चेन शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सलाहकार और सहायक टीम ने सहभागिता की ।

iv) नई दिल्ली में दिनांक 21-11-2012 को क्यूबेक कैनेडियन कोल्ड-चेन ट्रेड मिशन । ट्रेड मिशन को एन.सी.सी.डी. के मुख्य सलाहकार ने सम्बोधित किया और सरकार द्वारा समर्थित पहल के बारे में बताया ।

v) हैदराबाद में दिनांक 22-23/11/2012 को इंडिया कोल्ड चेन शो, रीड मंच-एन.सी.सी.डी. ने मुख्य भाषण दिया और नए विकास पर पैनल सत्र की अध्यक्षता की ।

vi) दिल्ली में दिनांक 27-11-2012 को कोल्ड चेन प्रबंधन पर आयोजित पी.एच.डी.सी.सी. राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्य सलाहकार द्वारा एन.सी.सी.डी. और कोल्ड-चेन अवसरों पर प्रस्तुति दी गई ।

vii) दिल्ली में दिनांक 3-4/11/2012 से आई.सी.ई. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और गलोबल कोल्ड-चेन एलायंस (आई.सी.ई 2012) वार्षिक सममेलन । एन.सी.सी.डी. समर्थन और विभिन्न पैनल चर्चाएं ।

viii) दिनांक 14-12-2012 को आई.ए.आर.आई, पूसा में अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ । कृषि और खाद्य प्रसंस्करण(प्रोसेसिंग) में आपूर्ति श्रृंखला(चेन) की भूमिका समझाने के लिए एन.सी.सी.डी. की सहभागिता।

ix) एन.एस.आई.सी. कॉम्प्लेक्स ओखला, दिल्ली में दिनांक 12-1-2013 को आयोजित इंटरनेशनल हॉर्टी कॉन्ग्रेस । बागवानी फसलों विशेष रूप से फूलों की देखभाल की जानकारी के लिए कोल्ड-चेन का सबसे अच्छा उपयोग होता है ।

x) मुंबई में एन.ए.एफ.टी.सी. और नीदरलैंड्स सरकार द्वारा आयोजित महानगरीय खाद्य सुरक्षा - एन.सी.सी.डी. को यह बताने के लिए आमंत्रित किया गया था कि कोल्ड-चेन खाद्य असुरक्षा को कम कैसे करता है ।

xi) आई.एच.सी. को दिनांक 8-02-2013 को आयोजित ए.सी.आर.ई.सी.ओ.एन.एफ 2013 । कोल्ड-चेन आवश्यकताओं में प्रीशीतन के बारे में एयरकंडीशनिंग सेक्टर को जागरूक करने के लिए एन.सी.सी.डी. की भागीदारी ।

xii) प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 15-02-2013 को आयोजित सी.आई.आई लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन 2013 - एन.सी.सी.डी. ने कोल्ड-चेन में अवसरों के लॉजिस्टिक क्षेत्र और कोल्ड स्टोर्स के अलावा होलिस्टिक लॉजिस्टिक्स के महत्व को सूचित करने के लिए सहभागिता की ।

xiii) दिनांक 22-3-2013 को दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण में सर्वोत्तम व्यवहारों(प्रैक्टिसेस)पर इंडो अमरीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित सम्मेलन । एन.सी.सी.डी. ने विषय पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता की ।

xii) आसियान देशों में डी.आई.पी.पी. द्वारा की जा रही व्यवस्था 5 निवेश गोलमेज(राउंडटेबल्स) में एन.सी.सी.डी. को आमंत्रित किया गया । एन.सी.सी.डी. ने 26 मार्च, 2013 को कुआलालंपुर मलेशिया में पहली बार कोल्ड-चेन में निवेश के अवसरों पर सलाह देने के लिए डी.आई.पी.पी. प्रयोजक में सहभागिता की ।

चैनल प्रदर्शनियों और सम्मेलनों में एन.सी.सी.डी. सदस्यों के लिए भागादारी उपलब्ध कराई गई थी :

ए) आई.आई.टी.एफ. में कृषि-मंत्रालय पैविलियन

14-27 नवंबर, 2012 को प्रगति मैदान में 32वाँ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला । आई.आई.टी.एफ में प्रदर्शनी के लिए पी.एच.एम उपकरण लगाए गए थे । एन.सी.सी.डी ने कृषि मंत्रालय पैविलियन में लाइव डेमो स्थापित करने के लिए प्रदर्शकों की सुविधा की सुविधा प्रदान की, जिसके लिए डी.ए.सी. ने कोल्ड-चेन प्रदर्शन(डेमोंस्ट्रेशन) के लिए उपयोग किए जाने वाले 3000 वर्ग फुट स्थान के लिए प्रदर्शनी शुल्क को माफ कर दिया । मल्टी कमोडिटी कोल्ड कक्ष को स्केल डाउन किया गया, एक छोटा सी.ए. सक्षम कोल्ड कक्ष और आधुनिक प्रशीतित(रेफ्रिजरेटेड) ट्रक को प्रदर्शन(डिस्प्ले) हेतु रखा गया । प्रत्येक उपकरण प्रकार प्रदर्शनों के लिए स्टोर्ड विभिन्न उपज के साथ पूरी तरह कार्यात्मक था । एन.सी.सी.डी. टीम द्वारा अभिकल्प तथा खाका तैयार किया गया था । कृषि मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ मंडप(पैविलियन) पुरस्कार जीता ।

बी) आई.सी.ई. 2012 वार्षिक सम्मेलन

4 नवंबर, 2012 को आई.सी.ई. 2012 कोल्ड-चेन सम्मेलन और रात्रि भोज में भाग लेने के लिए एन.सी.सी.डी. सदस्यों को फीस से छूट दी गई थी ।

सी) अरुणाचल प्रदेश एग्री-एक्सपो.

एन.सी.सी.डी. सदस्यों को 12 से 14 दिसंबर, 2012 तक अरुणाचल प्रदेश(ईटानगर) में एग्री-एक्सपो में मुफ्त पहुंच(स्थानीय परमिट, स्थानीय परिवहन और ठहरना) के बारे में बताया गया।

एन.सी.सी.डी. ने वर्ष 2012-13 में इन गतिविधियों के लिए कोई प्रत्यक्ष रूप से व्यय नहीं किया । एन.सी.सी.डी. के मुख्य सलाहकार को उद्योग द्वारा वर्ष 2012 में अनुकरणीय विचार नेतृत्व हेतु सम्मानित किया गया था । शासी निकाय(गवर्निंग काउंसिल) ने एन.सी.सी.डी. की अनुकूल प्रतिक्रिया का उल्लेख किया, जो इसके पहल, जानकारियों को साझा करने और हितधारकों के लिए अन्य सुविधा पर प्राप्त हुई है ।

एच. सलाहकार अन्य गतिविधियां

एन.सी.सी.डी. ने सिफारिश की कि कृषि मंत्रालय कोल्ड-चेन आधारिक संरचना का एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य करे, ताकि निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण किया जा सके :

i) कोल्ड-चेनआपूर्ति श्रृंखला(सप्लाई चेन) और उसके कारणों अर्थात् स्थान, प्रौद्यागिकी, वाणिज्यिक मॉडल, कृषि पैटनर्स इत्यादि में व्यवहार्यता अंतर का आकलन करें । यह व्यवहार्यता चिंता(कंसर्न) को हल करने के लिए अनुकूल हस्तक्षेपों को विकसित करने की ओर ले जाएगा ।

ii) आधारिक संरचना के माध्यम से कार्गो की अधिकता(फ्लो) को मापने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी परिनियोजन का आकलन करें, जो इन्हें ए.पी.एम.सी. को उप-समूहों(सब-सेट्स) के रूप में कार्य करने की अनुमति दे सकता है ।

iii) आधारिक संरचना हेतु आयु बढ़ाने और संभावित मांग अंतर(अग्रिम रूप से) का आकलन करें, ताकि विकास की कमी से पहले क्षेत्रों(सेक्टर्स) में विकास को बढ़ावा दिया जा सके ।

iv) नीति बनाते समय लाभों(सेवाकर, अन्य) के कुल प्रभाव का आकलन करें । यह कृषि-उपज और अन्य कार्गो के बीच अंतर लाभों को विकसित करने के विस्तार की अनुमति भी देगा ।

v) आकस्मिक तैनाती के लिए कोल्ड स्टोरेज क्षमता की संभावित मैपिंग और नेटवर्किंग का आकलन करें और उपज के पैन-नेशनल फ्लो तथा बाजार पहुंच की निगरानी करें ।

vi) अंतरराज्यीय वाहनों के आवागमन का आकलन करें और बहु-मोडल विकल्पों की स्कॉपिंग के लिए टाइप करें और पेरिशबल्स हेतु ग्रिड कॉरिडोर की ओर विकास करें ।

vii) विपणन लिंकों का आकलन करें और विपणन संगठनों को एफ.पी.ओ. और कोल्ड स्टोरेजेज को विपणन हब के रूप में जोड़ने के लिए प्रोमोशनल इंटरवेंशन का विकास करें ।

viii) ऐसे आकलन जो गठित अन्य तकनीकी समितियों(मानक, गणुवत्ता, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी इत्यादि) को सुविधाजनक बनाएंगे ।

डी.ए.सी. ने शुरू में एन.एच.बी. को कोल्ड स्टोरेज का देशव्यापी सर्वेक्षण करने की गतिविधि सौंपी । एन.सी.सी.डी. को डोमेन समर्थन प्रदान करने के लिए भी कहा गया था और सर्वेक्षण को अंत में कोल्ड स्टोरेज की वॉल्यूमेट्रिक क्षमता, शीतलन क्षमता, आधारिक संरचना की आयु, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, प्रत्येक स्थान की जियाटैगिंग, जनशक्ति(मैनपावर), प्रयुक्त क्षमता इत्यादि का रिकार्ड करने के लिए डिजाइन किया गया और यह प्रक्रियाधीन है ।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग : एन.सी.सी.डी. द्वारा कोल्ड-चेन क्षेत्रों में इंडो-डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के अनुसरण में हाल ही में हस्ताक्षरित इंडो-डच कार्य योजना पर समन्वय शुरू किया गया था । एन.सी.सी.डी. के मुख्य

सलाहकार को कृषि खाद्य प्रसंस्करण पर संयुक्त कार्य समूह(जे.डब्ल्यु.जी) का सदस्य भी बनाया गया, जिसकी अपर सचिव श्री अनूप ठाकुर ने अध्यक्षता की । इसके तत्वावधान में जे.डब्ल्यु.जी., फ्रांस के केमफ्रॉड ने एन.सी.सी.डी. को कोल्ड-चेन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित किया है। इसे नियत प्रक्रिया के पालन के बाद अनुमोदित किया गया है ।

पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी अध्ययन : पूर्वोत्तर राज्यों में आधारिक संरचना की कनेक्टिविटी का आकलन करने के लिए एन.सी.सी.डी. समिति के सदस्य द्वारा 35 दिन का अध्ययन दौरा किया गया था । अध्ययन दौरा 29 अक्तूबर से 2 दिसंबर, 2012 तक था । एन.सी.सी.डी ने अध्ययन दौरे के लिए एक जांच प्रारूप तैयार किया, जो क्षेत्र में उपलब्ध आधारिक संरचना और प्रौद्योगिकी का आकलन करने के लिए बनाया गया है । पूरी अध्ययन यात्रा सड़क(साधारण ट्रक वाहक पर सवार होकर) मार्ग से की गई थी; अध्ययन एन.सी.सी.डी. अथवा डी.ए.सी. के लिए बिना किसी लागत के नि:शुल्क किया गया था । जिन स्थानों का दौरा किया गया था वे निम्नलिखित हैं :

- तिनसुकिया, असम
- तेजू, अरुणाचल
- रोइंग, अरुणाचल
- पासीघाट, अरुणाचल
- पांगिन, अरुणाचल
- अनलो, अरुणाचल
- जीरो, अरुणाचल
- बोमडिला, अरुणाचल
- दरांग, अरुणाचल
- रुपा, अरुणाचल

यात्रा किसानों तथा उत्पादकों के साथ संवादात्मक थी । नारंगी, अनानास, कीवी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, फूल इत्यादि के उत्पादकों के साथ फार्मगेट बातचीत के आधार पर अवलोकन किए गए । असम और अरुणाचल के 150 किसानों को व्यक्तिगत रूप से तथा समूहों में मुलाकात की गई और

- गुवाहटी, असम तथा इटानगर, अरुणाचल के बागवानी विभाग के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की ।
- अरुणाचल: चौखम, जीरो और शेरगोन में राज्य के खेतों/नर्सरी का दौरा किया ।

कोल्ड-चेन हस्तक्षेप(इंटरवेशन्स) को तर्कसंगत बनाना

एन.सी.सी.डी. ने एकीकृत कोल्ड-चेन विकास पर चिंताओं को साझा किया, जिसमें डी.ए.सी. की विभिन्न बैठकों में अवधारणा स्तर पर गलत धारणाओं पर टिप्पणियों को शामिल किया गया और विभिन्न सुझाव दिए गए । 14 दिसंबर, 2012 को कोल्ड-चेन आधारिक संरचना पर 2वें अंतर-मंत्रालयी समूह(आई;एम.जी.) की बैठक में एन.सी.सी.डी. के साथ विस्तृत चर्चा की गई । इसके कारण कोल्ड-चेन विकास के लिए चल रही योजनाओं का पुनरीक्षण किया गया और एन.एच.एम के घटकों, मानदंडों और सहायता पैटर्न की सूची की समीक्षा और संशोधन के लिए काम शुरू किया गया ।

आई. एन.सी.सी.डी.- उद्देश्य एवं विषयपरक

एन.सी.सी.डी. एक पंजीकृत सोसायटी है, जो सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोड के तहत स्वायत्त तरीके से कोल्ड-चेन पर प्रबुद्ध मंडल(थिंक टैंक) के रूप में कार्य करती है और सरकार के बिना किसी लागत के संचालित करती है । प्रारंभ में सरकार द्वारा पूंजी प्रदान की गई थी और एन.सी.सी.डी. के उद्देश्य सिफारिश देना, सुझाव देना, आकलन करना एवं समन्वय करना, सुविधा देना और बढ़ावा(फोस्टर) देना है :

- पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित कोल्ड-चेन आधारिक संरचना/भवन के लिए मानकों और प्रोटोकॉलों की सिफारिश करना ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रैक्टिसों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कोल्ड-चेन उद्योग द्वारा प्रदान किए आधारिक संरचना/भवन, प्रक्रिया और सेवाओं के बेंचमार्किंग और प्रमाणन के लिए तंत्र का सुझाव देना ।
- संभावित निवेशकों/उद्यमियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक दिशा-निर्देश सुझाना ।
- कोल्ड-चेन आधारिक संरचना के लिए उपयुक्त आई.टी. आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का मूल्यांकन और विकास करना ।
- हितधारकों के परामर्श से कोल्ड-चेन उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास(आर एंड डी) कार्य करना और समन्वय करना ।
- मानव संसाधन विकास(एच.आर.डी.) और क्षमता निर्माण के कार्य को शुरू करना और समन्वय करना । यह कोल्ड-चेन विकास के लिए संबंधित इन-हाउस प्रशिक्षण, अल्पकालिक/दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित कर सकता है ।
- हितधारकों को एकीकृत कोल्ड-चेन के लाभों के बारे में जागरूक करने तथा शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना ।
- कोल्ड-चेन के विकास से संबंधित उचित नीतिगत ढांचे की सिफारिश करना ।
- विकारी(पेरिशेबल) कृषि, बागवानी और संबद्ध वस्तुओं के लिए बहु-मॉडल परिवहन सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकारी(पेरिशेबल) वस्तुएं ग्रीन ग्रिड की स्थापना करना ।

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.)

मार्च, 2013

जे. एन.सी.सी.डी. की कार्यकारिणी

क्र.सं.	नाम एवं पता	पदनाम
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7-1-2013 जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
3	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
4	संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7-1-2013 जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
5	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव, हरियाणा	समिति सदस्य
6	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद से कम नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
7	प्रबंध निदेशक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली- 110016	समिति सदस्य
8	चेयरमैन-सी II टास्क फोर्स ऑन कोल्ड-चेन कॉफेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्राउंड फ्लोर, कोर 4A इंडियन हेबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	समिति सदस्य
9	मुख्य कार्यकारी अधिकारी फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड कॉनकोर एच.एस.आई.आई.डी.सी इंडस्ट्रियल इस्टेट राय, सोनीपत- 131029 (हरियाणा)	समिति सदस्य
10	निदेशक, एन.सी.सी.डी.	सदस्य सचिव

(जब तक कोष्ठक में अन्यथा नहीं कहा जाता है, एन.सी.सी.डी. के उपनियमों के अनुसार)

मार्च, 2013

ई. एन.सी.सी.डी. की शासी परिषद

क्र.सं.	नाम	सोसायटी में पदनाम
1	सचिव कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) मानक भवन, 9, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002	पदेन सदस्य
3	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
4	संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव का प्रतिनिधि, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गांव, हरियाणा	पदेन सदस्य
7	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष पद से कम नहीं), रेल भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8	अध्यक्ष – ए.पी.ई.डी.ए. एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9	प्रबंध निदेशक सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया हौज खास, नई दिल्ली- 110016	पदेन सदस्य
10	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी./निजी सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
11	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी./निजी सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
12	कॉफेडेरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (सी II) के प्रतिनिधि - चेयरमैन-सी II टास्क फोर्स ऑन कोल्ड-चेन, 23 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	सदस्य
13	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज(एफ.आई.सी.सी.आई.) के प्रतिनिधि, फेडरेशन हाउस,तानसेन मार्ग, नई दिल्ली- 10001	सदस्य
14	अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रिती
15	निदेशक, एन.सी.सी.डी.	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी. के उपनियमों के अनुसार)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2013 तक राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी), नई दिल्ली के लिए संलग्न तुलनपत्र तथा आय और व्यय के लेखा का लेखापरीक्षा किया है, जो कि सोसायटी द्वारा अनुरक्षित खाते की पुस्तकों के अनुसार हैं। ये वित्तीय विवरण सोसायटी प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है ।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकार लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है । उन मानकों की आवश्यकता है कि हम वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण से मुक्त उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । इस लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में अमाउंट्स और खुलासे का समर्थन करने वाले परीक्षण के आधार पर जांच शामिल है । इस लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और सोसायटी प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय और रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

उपर्युक्त विषय और संलग्न अन्य टिप्पण लेखा के साथ पढ़ें, हम रिपोर्ट करते हैं कि -

(क) तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा सोसायटी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों के साथ हैं ।

(ख) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे आवश्यक थे ।

(ग) हमारी राय में, सोसायटी द्वारा अभी तक खातों की उचित पुस्तकें रखी गई हैं, क्योंकि यह उसकी परीक्षा से प्रकट होती है ।

(घ) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त कथन सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं -

(i) 31 मार्च, 2013 को सोसायटी के मामलों की स्थिति के तुलनपत्र के मामले में ।

(ii) तिथि 31 मार्च,2013 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता के अधिशेष के मामले ।

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
हस्ता./-
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनरशिप सदस्यता नं086294
फर्म रजि. क्रमांक 010325एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2013 को तुलनपत्र

(धनराशि रु. में)

विवरण	टिप्पणियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजी निधि और देयताएं :			
पूंजीगत निधि	1	25,00,00,000.00	12,50,00,000.00
जनरल निधि (आरक्षित और अधिशेष)	2	1,37,63,321.00	8,71,701.00
वर्तमान देयताएं	3	51,74,490.00	3,62,600.00
स्थायी परिसंपत्तियां(कंट्रा.)	4	1,82,658.40	
कुल		**26,91,20,469.40**	**12,62,34,301.00**
परिसंपत्तियां :			
स्थायी परिसम्पत्तियां	4	1,82,658.40	--
निवेश - अन्य	5	25,30,37,500.00	--
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	6	1,59,00,311.00	12,62,34,301.00
कुल		**26,91,20,469.40**	**12,62,34,301.00**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणयां 10

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

(श्री जीशान अहमद)
लेखा प्रबंधक

(श्री एस. कौल)
सहायक निदेशक

(श्री संजीव चोपड़ा)
कार्यकारी निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2013 को समाप्त अवधि हेतु आय एवं व्यय लेखा

(धनराशि रु. में)

आय	टिप्पणियाँ	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
फीस / अंशदान	7	3,40,600.00	12,00,000.00
ब्याज अर्जित	8	1,83,58,014.00	34,301.00
कुल (ए)		**1,86,98,614.00**	**12,34,301.00**
राजस्व व्यय :			
स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	9	7,25,282.00	38,090.00
परिवहन प्रभार		2,17,035.00	
पूँजीगत व्यय :			
स्थायी परिसंपतियां	4	2,57,887.00	
कुल (बी)		**12,00,204.00**	**38,090.00**
व्यय से अधिक आय का संतुलन होना (ए-बी)		1,74,98,410.00	11,96,211.00
घटाएं : आयकर प्रावधान		46,06,790.00	3,24,510.00
जनरल रिजर्व में अंतरण		**1,28,91,620.00**	**8,71,701.00**
सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणयां	**10**		

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

हस्ता./-
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

(श्री जीशान अहमद) **लेखा प्रबंधक**

(श्री एस. कौल) **सहायक निदेशक**

(श्री संजीव चोपड़ा) **कार्यकारी निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2013 तक तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाले टिप्पण(नोट)

नोट '1': पूंजीगत निधि का विवरण (धनराशि रु. में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	25,00,00,000.00	12,50,00,000.00
कुल	**25,00,00,000.00**	**12,50,00,000.00**

नोट '2': सामान्य निधि (धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	8,71,701.00	-
जोड़ना: व्यय से अधिक आय की अधिकता	1,74,98,410.00	11,96,211.00
घटाएं : आयकर प्रावधान	46,06,790.00	3,24,510.00
31 मार्च, 2013 को जनरल निधि में शेष राशि	**1,37,63,321.00**	**8,71,701.00**

नोट '3': वर्तमान देयताओं का विवरण (धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
देय व्यय	50,36,300.00	3,24,510.00
विविध लेनदार	1,38,190.00	38,090.00
कुल	**51,74,490.00**	**3,62,600.00**

नोट '5 ': (अन्य निवेश) स्थायी परिसंपत्तियां (धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
एफ.डी.आर		
स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एवं जयपुर के साथ एफ.डी.आर	25,00,00,000.00	-
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	30,37,500.00	-
कुल	**25,30,37,500.00**	-

नोट '6': चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि (धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ए. वर्तमान संपत्तियां :		
बैंक शेष :		
इंडियन ओवरसीज बैंक	0.00	12,62,34,301.00
स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एवं जयपुर	1,44,00,298.00	-
बी. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
टी.डी.एस मूल्यांकन वर्ष 2013 -14	15,00,013.00	-
कुल	**1,59,00,311.00**	**12,62,34,301.00**

नोट '7' : सदस्यता शुल्क (धनराशि रु.में)

सदस्यता का प्रकार	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सदस्यता शुल्क	3,40,600.00	12,00,000.00
कुल	**3,40,600.00**	**12,00,000.00**

नोट '8' : अर्जित ब्याज (धनराशि रु.में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आवधिक जमा पर		
स्टेट बैंक ऑफ़ जयपुर एवं बीकानेर के साथ एफडीआर पर ब्याज	1,50,00,000.00	-
बचत खाते पर		
स्टेट बैंक ऑफ़ जयपुर एवं बीकानेर के साथ	1,00,519.00	-
इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ	32,57,495.00	-
कुल	**1,83,58,014.00**	**0.00**

नोट '9' : स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (धनराशि रु.में)

व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
लेखांकन प्रभार	10,000.00	5,000.00
बैंक प्रभार	160.00	-
वेतन एवं मजदूरी	6,37,032.00	-
कार्यालय व्यय	20,000.00	-
मुद्रण /प्रकाशन /स्टेशनरी	30,000.00	-
व्यावसायिक प्रभार	28,090.00	33,090.00
कुल	**7,25,282.00**	**38,090.00**

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

हस्ता./-

(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

(श्री जीशान अहमद) **लेखा प्रबंधक**

(श्री एस. कौल) **सहायक निदेशक**

(श्री संजीव चोपड़ा) **कार्यकारी निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2013 तक तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाले टिप्पण(नोट)

नोट '4' : स्थायी सम्पत्तियाँ (धनराशि रु.में)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्युडीवी दि.01.04.2012 को	जोड़(एडीशन)		बिक्री	कुल 31.03.2013 को	मूल्यह्रास के लिए वि.व.2012-13 हेतु	डब्ल्युडीवी दि.1.04.2013 को
			30/9/12 तक	30/9/12 के बाद				
वाटर डिस्पेंशर	15%	-	-	9,500.00		9,500.00	712.50	8,787.50
उप योग			-	**9,500.00**		**9,500.00**	**712.50**	**8,787.50**
कंप्यूटर्स	60%	-	-	1,84,442.00		1,84,442.00	55,332.60	1,29,109.40
लैपटॉप	60%	-	-	63,945.00		63,945.00	19,183.50	44,761.50
उप योग		-	-	**2,48,387.00**		**2,48,387.00**	**74,516.10**	**1,73,870.90**
कुल				**2,57,887.00**	-	**2,57,887.00**	**75,228.60**	**1,82,658.40**

अंकित तिथि के साथ हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

हस्ता./-
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 086294
एफआरएन: 010325एन

(श्री जीशान अहमद) — **लेखा प्रबंधक**
(श्री एस. कौल) — **सहायक निदेशक**
(श्री संजीव चोपड़ा) — **कार्यकारी निदेशक**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, नई दिल्ली

31 मार्च, 2013 को तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाली
लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां(नोट्स टू अकाउंट्स)

<u>नोट 10</u> :

लेखांकन नीतियां

1) खातों को लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के बाद एक ऐतिहासिक कंसर्न के आधार पर तैयार किया जाता है और प्रोद्भूत आधार पर आय और व्यय को मान्यता देता है, जब तक अन्यथा न कहा जाए । आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के साथ, अन्यथा लेखाकंन नीतियां को स्वीकार किया गया है।

2) वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियां खरीद के वर्ष में आय और व्यय खाते में प्रभारित की जाती हैं और साथ ही उन पर प्रत्यक्ष और वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए स्थायी परिसंपत्तियां निधि खाता के तहत तुलनपत्र को अंतरित किया जाता है ।

3) लागत पर निवेश को महत्व लिया जाता है ।

4) विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त अनुदान राशि को अलग से दिखाया गया है और आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है । व्यक्तिगत योजना(योजनाओं) के मापदंडो के अनुसार प्रशासनिक शुल्क और सेवा शुल्क और ऐसी निधियों में जमा धनराशि के ब्याज से आय को सोसायटी की आय के रूप माना जाता है और आय एवं व्यय खाते में जमा किया जाता है ।

लेखे पर टिप्पणियां(नोट्स टू अकाउंट्स)

1) पिछले अवधि के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं क्योंकि वे 1 वर्ष और 64 दिन के हैं ।
2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से एकत्र किया गया है, जहां कभी तुलनीय बनाने की आवश्यकता होती है ।

कृते उमेश अग्रवाल एंड कंपनी	**कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र**		
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स			
हस्ता./-			
(सी.ए. उमेश बाबू अग्रवाल)	**(श्री जीशान अहमद)**	**(श्री एस. कौल)**	**(श्री संजीव चोपड़ा)**
पार्टनर	**लेखा प्रबंधक**	**सहायक निदेशक**	**कार्यकारी निदेशक**
सदस्यता संख्या 086294			
एफआरएन: 010325एन			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितंबर, 2014